



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200]  
No. 200]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 13, 2005/वैशाख 23, 1927  
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 13, 2005/VAISAKHA 23, 1927

वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)  
अधिसूचना  
नई दिल्ली, 13 मई, 2005

सा.का.नि. 291 (अ).—केन्द्रीय सरकार, लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 (1968 का 23) की धारा 3 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक भविष्य निधि स्कीम, 1968 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम लोक भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2005 है।  
(2) यह उसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।
2. लोक भविष्य निधि स्कीम, 1968 में,—  
(i) पैरा 3 के उप-पैरा (2) का लोप किया जाएगा;  
(ii) पैरा 12 के उप-पैरा (1) में टिप्पण का लोप किया जाएगा।  
(iii) प्ररूप क में,—  
(क) “स्वयं/अवयस्क(कों)/हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब/संगम के नाम में लेखा” शीर्षक के स्थान पर “स्वयं/अवयस्क (अवयस्कों) के नाम में लेखा” शीर्षक रखा जाएगा;  
(ख) पैरा (ii) में, “या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या व्यक्तियों के किसी संगम” शब्दों का लोप किया जाएगा।  
(ग) पैरा (iii) के ब्यौरे में क्रम सं. 3 और 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;  
(घ) पैरा (iv) के उपपैरा (ख) और उपपैरा (ग) का लोप किया जाएगा;  
(ङ) “टिप्पण 1” का लोप किया जाएगा।

[सं. फा. 2/8/2005-एनएस-II]

पी.सी. सिंह, अवर सचिव

टिप्पण : स्कीम सा.का.नि. 1136 (अ), तारीख 15-6-1968 द्वारा अधिसूचित की गई थी और सा.का.नि. 368 (अ), तारीख 1-8-72, सा.का.नि. 217(अ), तारीख 9-3-79, सा.का.नि. 271(अ), तारीख 16-3-83, सा.का.नि. 54(अ), तारीख 7-2-84, सा.का.नि. 895(अ), तारीख 23-6-86, सा.का.नि. 1013(अ), तारीख 20-8-86, सा.का.नि. 1006(अ), तारीख 23-12-1987, सा.का.नि. 793(अ), तारीख 29-8-89, सा.का.नि. 477(अ), तारीख 25-5-94, सा.का.नि. 489(अ), तारीख 6-7-99, सा.का.नि. 908(अ), तारीख 6-12-2000, सा.का.नि. 679(अ), तारीख 4-10-2000, सा.का.नि. 768(अ), तारीख 15-11-2002, सा.का.नि. 585(अ), तारीख 23-7-03, सा.का.नि. 690(अ), तारीख 27-8-03 और सा.का.नि. 755(अ), तारीख 19 नवम्बर, 2004 द्वारा संशोधित की गई।

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Economic Affairs)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th May, 2005

**G.S.R. 291(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 3 of the Public Provident Fund Act, 1968 (23 of 1968), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Public Provident Fund Scheme, 1968, namely :—

1. (1) This scheme may be called the Public Provident Fund (Amendment) Scheme, 2005.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Public Provident Fund Scheme, 1968,—
  - (i) in paragraph 3, sub-paragraph (2) shall be omitted;
  - (ii) in paragraph 12, in sub-paragraph (1), the Note shall be omitted;
  - (iii) in Form A,—
    - (a) for the heading “Account in the name of Self/Minor(s)/HUF/Association”, the heading “Account in the Name of Self/Minor (s)” shall be substituted;
    - (b) in paragraph (ii), the words “or a Hindu Undivided Family or an Association of persons” shall be omitted;
    - (c) in paragraph (iii), in the details, S. Nos. 3 and 4 and the entries relating thereto shall be omitted;
    - (d) in paragraph (iv), the sub-paragraphs (b) and (c) shall be omitted;
    - (e) “Note 1” shall be omitted.

[No. F. 2/8/2005-NS-II]

P. C. SINGH, Under Secy.

**Note :** The scheme was notified *vide* GSR 1136(E), dated 15-6-1968 and amended *vide* GSR 368(E), dated 1-8-72, GSR 217(E), dated 9-3-79, GSR 271(E), dated 16-3-83, GSR 54(E), dated 7-2-84, GSR 895(E), dated 23-6-86, GSR 1013(E), dated 20-8-86, GSR 1006(E), dated 23-12-1987, GSR 793(E), dated 29-8-89, GSR 477(E), dated 25-5-94, GSR 489(E), dated 6-7-99, GSR 908(E), dated 6-12-2000, GSR 679(E), dated 4-10-2002, GSR 768(E), dated 15-11-2002, GSR 585(E), dated 25-07-2003, GSR 690(E), dated 27-8-2003 and No. G.S.R. 755(E), dated 19th November, 2004.